कार्यालय रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल, लखनऊ

पत्र संख्या– 5617/23 दिनांक– 20/06/2023

अति आवश्यक सूचना

उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल द्वारा विदेशों से उत्तीर्ण FMG चिकित्सकों को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामनेशन, नई दिल्ली द्वारा आयोजित Screening परीक्षा के परिणाम के सत्यापन के पश्चात् ही इन्टर्नशिप हेतु मेडिकल कॉलेजों में अवांटित किया गया है। उक्त छात्रों का अस्थायी पंजीकरण (प्रोविजनल) विभिन्न प्राधिकारियों से सत्यापन के पश्चात् जारी किया जाता है। सत्यापन में समय लगता है जिस हेतु उच्चादेशों के क्रम में Screening परीक्षा के सत्यापन के आधार पर आवंटित मेडिकल कॉलेजों से इन्टर्नशिप करने की अनुमति दी गई है।

अतः समस्त मेडिकल कॉलेजों को अवगत कराना है कि विदेशों से उत्तीर्ण FMG चिकित्सकों को बिना अस्थायी पंजीकरण प्रमाण–पत्र (प्रोविजनल) के उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी आवंटन पत्र एवं सम्बन्धित मेडिकल कॉलेजों को ई–मेल के माध्यम से भेजी गई आवंटित छात्रों की सूची से मिलान करते हुए इन्टर्नशिप कराना सुनिश्चित करें।

नोट–यदि किसी FMG's अभ्यर्थी को आवंटित मेडिकल कॉलेज इंटर्नशिप कराने की अनुमति नहीं देता है/हॉस्टल की बाध्यता के लिए कहता तो इसकी सूचना अविलंब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नई दिल्ली को देते हुए, उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल को भी अवगत करायें। जिससे उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल द्वारा आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नई दिल्ली को संस्तुति प्रेषित की जा सके।

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल।